



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042026-271584
CG-DL-E-06042026-271584

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1672]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 2026/ चैत्र 16, 1948

No. 1672]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2026/ CHAITRA 16, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2026

का.आ. 1739(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घरेलू, कमर्शियल और समान प्रकार के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या करने से छोड़ी गई बातों को छोड़कर, केन्द्र सरकार का, ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रारंभ.- (1) इस आदेश को घरेलू, कमर्शियल और समान प्रकार के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह घरेलू, कमर्शियल या समान प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए अभिप्रेत ऐसे सभी विद्युत उपकरणों पर लागू होगा, जिनका रेटेड वोल्टेज सिंगल फेज उपकरणों के लिए 250 वोल्ट से अधिक नहीं है और एकदिश धारा (डायरेक्ट करंट) आपूर्ति वाले उपकरणों और बैटरी चालित उपकरणों सहित अन्य उपकरणों के लिए 480 वोल्ट से अधिक नहीं है।

(3) यह उन विद्युत उपकरणों पर लागू नहीं होगा जो उक्त अधिनियम द्वारा जारी किसी अन्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के दायरे में आते हैं या किसी अन्य अधिनियम के तहत भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन के लिए अधिसूचित हैं।

(4) यह आदेश दिनांक 1 अक्तूबर, 2026 से प्रभावी होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश की कोई बात निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं या वस्तुओं पर लागू नहीं होगी:

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्यम क्रमशः तालिका के कॉलम (6) और (7) में विनिर्दिष्ट संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तिथि से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में कुछ भी घरेलू और इसी प्रकार के विद्युत उपकरणों के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के उद्देश्य से प्रति वर्ष आयातित दो सौ वस्तुओं या सामानों के लिए लागू नहीं होगा, इस शर्त के साथ कि ऐसे आयातित माल और सामान कमर्शियल रूप से बेचे नहीं जाएंगे और उन्हें स्ट्रैप के रूप में निपटाया जाएगा और विनिर्माता माल या सामान का वर्षवार रिकॉर्ड रखेंगे और मांगे जाने पर उसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश की कोई बात ब्यूरो द्वारा प्रमाणित विनिर्माता या ऐसे विनिर्माता द्वारा, जिसने सुसंगत वस्तुओं और सामान के प्रमाणन के लिए ब्यूरो को आवेदन किया है, तालिका में उल्लिखित कार्यान्वयन की तारीख से पहले घरेलू रूप से निर्मित या आयातित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगी और ऐसे विनिर्माता को तालिका में उल्लिखित कार्यान्वयन की तारीख से छह माह तक ऐसे घोषित स्टॉक को बेचने या प्रदर्शित करने या उसे बिक्री हेतु प्रस्तुत करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि ऐसा विनिर्माता ब्यूरो के समक्ष इस आशय की घोषणा करेगा।

तालिका

क्रम सं.	माल या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्यतः कार्यान्वयन की तारीख (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर)	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तारीख	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	घरेलू, कमर्शियल या इसी प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए अभिप्रेत ऐसे सभी विद्युत उपकरण, जिनका रेटेड वोल्टेज सिंगल फेज उपकरणों के लिए 250 वोल्ट से अधिक न हो और अन्य उपकरणों के लिए 480 वोल्ट से अधिक न हो, जिसमें डायरेक्ट करंट आपूर्ति वाले उपकरण और बैटरी चालित उपकरण भी शामिल हैं। विद्युत उपकरणों की सूची नीचे दी गई है:	आईएस 302 (भाग 1): 2024 आईईसी 60335-1: 2020	घरेलू और इसी प्रकार के विद्युत उपकरण — सुरक्षा भाग 1 सामान्य आवश्यकताएं	1 अक्तूबर, 2026	1 जनवरी, 2027	1 अप्रैल, 2027
1.	वैक्यूम क्लीनर और वाटर सक्शन क्लीनिंग उपकरण					
2.	स्पिन एक्सट्रैक्टर्स					
3.	कुकिंग रेंज, हॉब्स, अवन और इसी प्रकार के अन्य उपकरण					
4.	इलेक्ट्रिकल शेवर हेयर, क्लिपर और इसी प्रकार के अन्य उपकरण					
5.	टम्बलर ड्रायर्स					
6.	वार्मिंग प्लेट्स और इसी प्रकार के उपकरण					

7.	फ्राइंग पैन्, डीप फैट फ्रायर और इसी प्रकार के उपकरण				
8.	तरल पदार्थ गर्म करने के उपकरण				
9.	मालिश संबंधी उपकरण				
10.	इलेक्ट्रिक फोर्स्ड कन्वेक्शन अवन, स्टीम कुकर और स्टीम-कन्वेक्शन अवन				
11.	इलेक्ट्रिक हीटिंग टूल्स				
12.	इलेक्ट्रिक स्टीम कुकर				
13.	इन्सेक्ट किलर्स				
14.	इंडोर उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक कॉल बेल्स और बजर				
15.	इलेक्ट्रिक वॉटर बॉयलर				
16.	इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर				
17.	इलेक्ट्रिक बीन स्लाइसर				
18.	इलेक्ट्रिक बेरी-जूस एक्सट्रैक्टर्स				
19.	इलेक्ट्रिक कैन ओपनर्स				
20.	इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूगल जूसर				
21.	इलेक्ट्रिक चर्न				
22.	इलेक्ट्रिक सिडर-फ्रूट स्क्वीज़र				
23.	500 ग्राम से कम हॉपर क्षमता वाले इलेक्ट्रिक कॉफी मिल्स				
24.	इलेक्ट्रिक क्रीम विहर्पर्स				
25.	इलेक्ट्रिक एग बीटर				
26.	इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर				
27.	3 लीटर से कम हॉपर क्षमता वाले इलेक्ट्रिक ग्राइंडर				
28.	इलेक्ट्रिक ग्रेटर्स				
29.	इलेक्ट्रिक आइसक्रीम मशीनें, जिनमें रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में उपयोग की जाने वाली मशीनें भी शामिल हैं।				
30.	इलेक्ट्रिक नाइफ शार्पेनर				
31.	इलेक्ट्रिक नाइफ				
32.	इलेक्ट्रिक नूडल मेकर				
33.	इलेक्ट्रिक पोटेटो पीलर्स				
34.	इलेक्ट्रिक थ्रेडर				
35.	इलेक्ट्रिक सीविंग मशीनें				
36.	स्लाइसिंग मशीनें				
37.	इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स				
38.	सिंगल वाल बेकिंग अवन				
39.	खाद्य सामग्री पीसने वाली कम गति वाली मशीनें				
40.	डिशवाशर				
41.	फर्श सफाई करने वाली मशीनें और वेट स्क़बिंग मशीनें				

42.	खाद्य अपशिष्ट डिस्पोजर्स					
43.	कंबल, पैड, कपड़े और इसी प्रकार के फ्लेक्सिबल हीटिंग उपकरण					
44.	त्वचा के ऑप्टिकल विकिरण एक्सपोज़र से संबंधित उपकरण					
45.	कमर्शियल इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज, अवन, हॉब्स और हॉब एलीमेंट्स					
46.	कमर्शियल इलेक्ट्रिक डोनट फ्रायर और डीप फ्रैट फ्रायर्स					
47.	कमर्शियल इलेक्ट्रिक ग्रीडल्स और ग्रीडल ग्रील					
48.	कमर्शियल इलेक्ट्रिक मल्टीपर्पज कुकिंग पैन्स					
49.	कमर्शियल इलेक्ट्रिक फोर्स्ड कंवेक्शन अवन, स्टीम कुकर और स्टीम-कन्वेक्शन अवन					
50.	कपड़े सुखाने की मशीन और टॉवल रेल					
51.	कमर्शियल इलेक्ट्रिक बॉइलिंग पैन					
52.	कमर्शियल इलेक्ट्रिक ग्रीलर्स और टोस्टर्स					
53.	भोजन और बर्तनों को गर्म रखने के लिए कमर्शियल इलेक्ट्रिक उपकरण					
54.	कमर्शियल इलेक्ट्रिक बैस - मैरी					
55.	ओरल क्लीनिंग उपकरण					
56.	सॉना हीटिंग उपकरण और इन्फ्रारेड केबिन					
57.	तरल पदार्थ या भाप का उपयोग करके घर के फर्श की सफाई करने वाले उपकरण					
58.	एक्वैरियम और गार्डन पॉन्ड में उपयोग के लिए विद्युत उपकरण					
59.	कमर्शियल इलेक्ट्रिक डिशवाशिंग मशीनें					
60.	व्हाल्रूपल बाथ्स और व्हाल्रूपल स्पास					
61.	थर्मल स्टोरेज रूम हीटर					
62.	कमर्शियल इलेक्ट्रिक रिसिंग सिंक					
63.	कमर्शियल इलेक्ट्रिक किचन मशीनें					
64.	एयर-क्लीनिंग उपकरण					
65.	वाटर-बेड हीटर्स					
66.	फिक्स्ड इमर्शन हीटर्स					

67.	आउटडोर बारबीक्यूस					
68.	फुट वार्मर्स और हीटिंग मैट्स					
69.	मनोरंजन मशीनें और व्यक्तिगत सेवा संबंधी मशीनें					
70.	शौचालय संबंधी उपकरण					
71.	फैब्रिक स्टीमर					
72.	आवासीय उपयोग हेतु ऊर्ध्वाधर गतिमान (वर्टिकली मूविंग) गैराज दरवाजों के लिए ड्राइव					
73.	ह्यूमिडिफायर					
74.	कमर्शियल इलेक्ट्रिक हुड्स					
75.	वेपोराइज़र					
76.	विद्युत कनेक्शन सहित गैस, तेल और ठोस ईंधन जलाने वाले उपकरण					
77.	इलेक्ट्रोलाइजर					
78.	लेज़र और तीव्र प्रकाश स्रोत से युक्त सौंदर्य देखभाल उपकरण					
79.	पर्सनल-ई-ट्रांसपोर्टर्स					
80.	त्वचा सौंदर्य देखभाल उपकरण					
81.	विद्युत मोटर लगे फर्नीचर					
82.	कमर्शियल वैक्यूम पैकेजिंग उपकरण					
83.	हाथ से पकड़े जाने वाले इलेक्ट्रिक एंग्रेविंग टूल्स					
84.	डीसी सप्लाय/बैटरी चालित वैक्यूम क्लीनर					
85.	डीसी सप्लाय/बैटरी चालित शेवर, ट्रिमर, क्लिपर और समान प्रकार के उपकरण					
86.	डीसी सप्लाय/बैटरी चालित मालिश संबंधी उपकरण					
87.	डीसी सप्लाय/बैटरी चालित ब्लेंडर, जूसर					
88.	डीसी सप्लाय/बैटरी चालित टूथब्रश और अन्य ओरल क्लीनिंग उपकरण					
89.	डीसी सप्लाय/बैटरी चालित फुट वार्मर और हीटिंग मैट्स					
90.	डीसी सप्लाय/बैटरी चालित एयर प्युरीफायर					

#टिप्पणी: इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण लागू होगा।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण** – उक्त ब्यूरो, तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. **उल्लंघन के लिए पेनल्टी**— इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

[फा. सं. पी-29026/36/2023-एलईआई]

निधि केसरवानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 6th April, 2026

S.O. 1739(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Safety of Household, Commercial and Similar Electrical Appliances (Quality Control) Order, 2025, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest after consulting the Bureau, hereby makes the following order, namely:-

1. **Short title, application and commencement.** - (1) This order may be called the Safety of Household, Commercial and Similar Electrical Appliances (Quality Control) Order, 2026.

(2) It shall apply to all electrical appliance intended for household, commercial or similar application with rated voltage not exceeding 250 V for single-phase appliances and 480 V for other appliances including direct current supplied appliances and battery-operated appliances.

(3) It shall not apply to electrical appliances which fall under the scope of any other Quality Control Order issued by the said Act or notified for mandatory Bureau of Indian Standard certification under any other Act.

(4) It shall come into force on the 1st of October, 2026.

2. **Compulsory use of Standard Mark.** - Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding entry specified in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that small enterprises and micro enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry specified in columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided also that nothing in this order shall apply for two hundred numbers of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of household and similar electrical appliances per year with the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and may be disposed of as a scrap and the manufacturers shall maintain a year-wise record of the goods or articles and furnish the same, if so desired to the Central Government:

Provided also that nothing in this order shall apply to goods or articles domestically manufactured or imported before the date of implementation as mentioned in the Table by the manufacturer certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification of the relevant goods and articles and such manufacturer shall be permitted to sell or display or offer to sell such declared stock upto six months from the date of implementation as mentioned in the Table, subject to the condition that such manufacturer shall made a declaration to this effect to the Bureau.

TABLE

Sl. No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in general (other than micro and small enterprises)	Date of implementation for small enterprises	Date of Implementation for micro enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	All electrical appliance intended for household, commercial or similar application with rated voltage not exceeding 250 V for single-phase appliances and 480 V for other appliances including direct current supplied appliances and battery operated appliances Following list of electrical appliances is given below:	IS 302 (Part 1): 2024 IEC 60335-1: 2020	Household and Similar Electrical Appliances — Safety Part 1 General Requirements	1 st October, 2026	1 st January, 2027	1 st April, 2027
1.	Vacuum Cleaners and Water Suction Cleaning Appliances					
2.	Spin Extractors					
3.	Cooking Ranges, Hobs, Ovens and Similar Appliances					
4.	Electrical Shavers Hair, Clippers and Similar Appliances					
5.	Tumbler Dryers					
6.	Warming Plates and Similar Appliances					
7.	Frying Pans, Deep Fat Fryers and similar appliances					
8.	Appliances for Heating Liquids					
9.	Massage Appliances					
10.	Electric Forced Convection Ovens, Steam Cookers and Steam-Convection Ovens					
11.	Electric Heating Tools					
12.	Electric Steam Cookers					
13.	Insect Killers					
14.	Electric Call Bells and Buzzers for Indoor Use					
15.	Electric Water Boilers					
16.	Electric Coffee Makers					
17.	Electric Bean Slicers					
18.	Electric Berry-juice Extractors					
19.	Electric Can Openers					
20.	Electric Centrifugal Juicers					
21.	Electric Churns					
22.	Electric Citrus-fruit Squeezers					
23.	Electric Coffee Mills not exceeding 500g hopper capacity					
24.	Electric Cream Whippers					
25.	Electric Egg Beaters					
26.	Electric Food Processors					
27.	Electric Grain Grinders not exceeding 3l hopper capacity					
28.	Electric Graters					
29.	Electric Ice-Cream Machines, including those for use in refrigerators and freezers					
30.	Electric Knife Sharpeners					
31.	Electric Knives					
32.	Electric Noodle Makers					
33.	Electric Potato Peelers					
34.	Electric Shredders					
35.	Electric Sieving Machines					
36.	Slicing Machines					
37.	Electric Hot Plates					
38.	Single Walled Baking Ovens					
39.	Low Speed Food Grinding Machines					
40.	Dishwashers					
41.	Floor Treatment Machines and Wet Scrubbing Machines					
42.	Food Waste Disposers					
43.	Blankets, Pads, Clothing and Similar Flexible Heating Appliances					
44.	Appliances for Skin Exposure to Optical Radiation					
45.	Commercial Electric Cooking Ranges, Ovens, Hobs and Hob Elements					
46.	Commercial Electric Doughnut Fryers and Deep Fat Fryers					

47.	Commercial Electric Griddles and Griddle Grills				
48.	Commercial Electric Multi-purpose Cooking Pans				
49.	Commercial Electric Forced Convection Ovens, Steam Cookers and Steam-Convection Ovens				
50.	Clothes Dryers and Towel Rails				
51.	Commercial Electric Boiling Pans				
52.	Commercial Electric Grillers and Toasters				
53.	Commercial Electric Appliances for keeping Food and Crockery Warm				
54.	Commercial Electric Bains-Marie				
55.	Oral Hygiene Appliances				
56.	Sauna Heating Appliances and Infrared Cabins				
57.	Surface-Cleaning Appliances for Household use Employing Liquids or Steam				
58.	Electrical Appliances for use with Aquariums and Garden Ponds				
59.	Commercial Electric Dishwashing Machines				
60.	Whirlpool Baths and Whirlpool Spas				
61.	Thermal Storage Room Heaters				
62.	Commercial Electric Rinsing Sinks				
63.	Commercial Electric Kitchen Machines				
64.	Air-Cleaning Appliances				
65.	Water-Bed Heaters				
66.	Fixed Immersion Heaters				
67.	Outdoor Barbecues				
68.	Foot Warmers and Heating Mats				
69.	Amusement Machines and Personal Service Machines				
70.	Toilet Appliances				
71.	Fabric Steamers				
72.	Drives for Vertically Moving Garage Doors for Residential Use				
73.	Humidifiers				
74.	Commercial Electric Hoods				
75.	Vaporizers				
76.	Gas, Oil and Solid-Fuel Burning Appliances Having Electrical Connections				
77.	Electrolysers				
78.	Beauty Care Appliances Incorporating Lasers and Intense Light Sources				
79.	Personal-e-Transporters				
80.	Skin Beauty Care Appliances				
81.	Furniture with Electrically Motorized Parts				
82.	Commercial Vacuum Packaging Appliances				
83.	Hand held electric Engraving Tools				
84.	DC supplied/ battery-operated vacuum cleaners				
85.	DC supplied/ battery-operated shavers, trimmers, clippers and similar appliances				
86.	DC supplied/ battery-operated Massage appliances				
87.	DC supplied/ battery-operated blenders, juicers				
88.	DC supplied/ battery-operated toothbrush and other oral hygiene appliances				
89.	DC supplied/ battery-operated foot warmer and heating mats				
90.	DC supplied/ battery-operated air purifier				

#Note.- For the purposes of this order, the latest version of Indian Standards shall apply.

3. Certification and enforcement authority. - The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (2) of the said Table.

4. Penalty for Contravention. -Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

[F. No. P- 29026/36/2023-LEI]

NIDHI KESARWANI, Jt. Secy.